<u>प्राथमिकता / महत्वपूर्ण</u>

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 4541 /33-विविध/पी0ए0/2022-23 दिनांक 25 फरवरी, 2023

1. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़।
4. जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
7. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
8. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़।
9. मुख्य उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।
10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़।
11. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पिथौरागढ़।
12. सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग, पिथौरागढ़।
13. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, पिथौरागढ़।
14. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़।
16. जिला युवा कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़।
17. जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़।
18. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़।
19. अग्रणी बैंक प्रबन्धक, पिथौरागढ़।
20. जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, पिथौरागढ़।
21. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, पिथौरागढ़।
22. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पिथौरागढ़।
23. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ़।
24. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़।
25. खण्ड विकास अधिकारी, विण, मूनाकोट एवं कनालीछीना।

अपर मुख्य सचिव, वित्त, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के पत्र संख्या 791 दिनांक 24 फरवरी, 2023 में राज्य के बजट (2023-24) निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जनता के सुझाव आमंत्रित किये जाने तथा जनसहभागिता को और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर "बजट पूर्व संवाद" Pre Budget Consultation की प्रक्रिया को प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 27 फरवरी, 2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से विकास भवन सभागार, पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में "बजट पूर्व-संवाद" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कृपया इस कार्यक्रम में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(वरुणा चौधरी)
मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि:-

1.परियोजना प्रबन्धक, रीप परियोजना, पिथौरागढ़ को इस आशय से कि कार्यक्रम उपरान्त उक्तानुसार विभिन्न हित समूहों से प्राप्त सुझावों का संकलन करते हुए पी0डी0एफ0 के रूप में वित्त विभाग को budget-uk@gov.in प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत करें।

2.जिलाधिकारी महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

।। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।।

पत्रांकः 345/ब0पू0सं0/2023–24 दिनांकः 03 मार्च, 2023

सेवा में,

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून।
2. मा0 मेयर, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश।
3. मा0 विधायक विधासभा क्षेत्र– चकराता, विकासनगर, सहसपुर, मसूरी, देहरादून कैण्ट, राजपुर, धर्मपुर, रायपुर, डोईवाला, ऋषिकेश।
4. समस्त मा0 सदस्य, जिला पंचायत, देहरादून।
5. समस्त मा0 पार्षद, नगर निगम देहरादून/ऋषिकेश एवं नगर पालिका परिषद मसूरी/हरबर्टपुर/ डोईवाला/विकासनगर।
6. मा0 प्रमुख क्षेत्र पंचायत, विकासखण्ड कालसी/चकराता/डोईवाला/रायपुर/विकासनगर/सहसपुर।

महोदय/महोदया,

दिनांकः 04 मार्च, 2023 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे से दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, निकट परेड ग्राउण्ड, देहरादून के सभागार में आयोजित "बजट–पूर्व–संवाद" कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

अतः सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीया

(झरना कमठान)
IAS
मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।

पत्रांकः /ब0पू0सं0/2023–24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र0/वि0 एवं रा0), देहरादून।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
5. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून।
9. मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।
10. अक्षय ऊर्जा विभाग, देहरादून।
11. जिला कृषि अधिकारी, देहरादून।
12. जिला पर्यटन अधिकारी, देहरादून।
13. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
14. जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून।
15. परियोजना निदेशक, स्वजल, देहरादून।
16. समस्त अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देहरादून।
18. जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून।
19. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
20. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, देहरादून।
21. प्रबन्धक, दून लाईब्रेरी, देहरादून।

मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।

ड्राफ्ट

दिनांक 02 मार्च, 2023 को जनपद स्तर पर आयोजित "बजट पूर्व सम्वाद" (Pre-Budget Stakeholders' Consultation) में प्राप्त सुझाव/आख्या

जनपद स्तर पर 02 मार्च, 2023 आयोजित "बजट–पूर्व–सम्वाद" (Pre-Budget Stakeholders' Consultation) कार्यक्रम हेतु सूचना जनपद के समस्त मा0 केबिनेट मन्त्री जी,मा0 सांसद महोदय,जनपद के समस्त मा0विधायकगणों,मा0जिला पंचायत अध्यक्ष,समस्त स्थानीय निकायों के अध्यक्षों,समस्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों,जनपद के सक्रिय सगठनों के मा0 अध्यक्षों तथा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगणों तथा जनपद में उत्कृष्ठ कार्य कर रहें महिला समूह व कृषकों को पत्र प्रेषित कर/दूरभाष के माध्यम से आमन्त्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी का स्वागत करते हुये बजट के बारे में प्राथमिक जानकारी प्रदान की गयी, इसके पश्चात जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार सभी उपस्थित समस्त माननीयों /समूह की महिलाओं व कृषकों तथा विभागों से सुझाव प्राप्त किये गये,जिनका विभागवार विवरण निम्नानुसार है–

पशुपालन विभाग जनपद– अल्मोड़ा

- राज्य सैक्टर बकरीपालन, गौपालन, भेडपालन एवंजिला सैक्टर वैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजना वर्तमान में अनु0 जाति/जनजाति के पशुपालकों हेतु ही अनुमन्य है एवं उक्त योजनाओं में आवंटित की जाने वाली धनराशि/यूनिटों की संख्या अत्यन्त न्यून है। उक्त योजनाओं को सामानय वर्ग के पशुपालकों हेतु अनुमन्य किया जाना एवं इस हेतु अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जानी अपेक्षित होगी, जिससे जनपद के सामान्य जाति के गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।
- वर्तमान में विभाग के पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी अपने निजी वाहनों से क्षेत्र भ्रमण, पशु चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधन व अन्य कार्य कर रहे हैं। प्रस्तावित है कि प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों में एक –एक मोबाईल वैटनरी वैन एवं पशुसेवा केन्द्रों हेतु मोटर साईकल/स्कूटी की व्यवस्था एवं इस हेतु अतिक्ति बजट आवंटित करने की आवश्यकता है।
- पशु चिकित्सा हेतु वर्तमान में जिला सैक्टर योजना से अधिकांश बजट आवंटित किया जाता है जो कि पशु चिकित्सा सम्बन्धी औषधियों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु अत्यन्त न्यून होता है। इस कारण कतिपय पशुपालकों को कतिपय औषधियॉ बाजार से क्रय करनी पडती है। अतः औषधि क्रय हेतु जिला योजनान्तर्गत एवं नॉन प्लान मद में वर्तमान आवंटित धनराशि को कम से कम दो गुना वृद्धि किया जाना अति आवश्यकीय होगा। इसके फलस्वरूप पशुओं की उचित चिकित्सा होने से उत्पादन में वृद्धि होगी एवं जनसामान्य को अतिरिक्त व्ययभार वहन नही करना पडेगा।
- प्रत्येक जनपद में एक या दो वैटनरी पॉलीक्लीनिक स्थापित किये जाने आवश्यक हैं, जिसमें एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं शल्य चिकित्सा की उचित व्यवस्था एवं विशेषज्ञ पदों का सृजन किया जाना उचित होगा।
- प्रतिदिन बड़ते हुवे बन्दरों के आतंक एवं कृषि उपज को नुकसान के दृष्टिगत बन्दरों के बधियाकरण हेतु योजना/नीति में वांछित परिवर्तन अपेक्षित होगा। उचित होगा कि पशुपालन विभाग को पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ हेतु बजट आवंटित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक बन्दरों का बधियारण कर उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
- पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चारे की अत्यधिक कमी से निपटने के लिए समस्त वन पंचायतों में सघन चारा विकास कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक–एक कृषि स्नातक एवं सहायक की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है एवं इस हेतु पृथक से नीति निर्माण किया जाना एवं धन आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा विभाग

- अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जनपद को एक निश्चित कोष की व्यवस्था–
  जनपद में 1249 राजकीय प्राथमिक ,166 उच्च प्राथमिक,07 हाईस्कूल व 166 इण्टर कॉलेज अवस्थित हैं। प्रत्येक वर्ष इस विद्यालयों में वृहद् मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नव स्थापित या उच्चीकृत हाईस्कूल व इण्टर कॉलेजों में स्थापना/उच्चीकरण के समय अतिरिक्त निर्माण का प्राविधान न किए जाने के कारण कई माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है।
- न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय–
  मानवीय व भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से प्रथम चरण में 05 व इससे न्यून छात्रसंख्या वाले विद्यालयों का निकटतम विद्यालय में विलय किया जाना उचित होगा।
- प्रत्येक विकास खण्ड में कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय की भॉति (छात्रा संख्या 50) आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 की कक्षाओं हेतु स्थापित किया जाना उचित होगा।
- बहुउद्देशीय वाहन– कम्प्यूटर लैब एवं पुस्तकालय युक्त एक वाहन जनपद में संचालित है,इस प्रकार के वाहनों की संख्या बढाये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- दूरस्त ग्रामों से विद्यालय आने–जाने वाले छात्र–छात्राओं हेतु विद्यालय आने जाने के लियें निशुल्क यातायात व्यवस्था हेतु बजट प्रावधान किया जाये अथवा बच्चों हेतु कोई कार्ड आदि प्रदान कर उन्हें निशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की जायें।
- बालिकाओं हेतु इण्टर कालेज स्तर पर ही "वौकेशनल/स्किल डवलैपमैंट" के कोर्स संचालित किये जायें ताकि इण्टर पास करने से पूर्व ही बालिकायें आत्मनिर्भर हो सके तथा कालेज की शिक्षा के बाद उन्हें इन कोर्स के लिये समय/धन व्यर्थ न करना पड़ें।

कृषि विभाग/उद्यान

- प्राकृतिक खेती प्रणाली से चाहे कोई भी खाद्यान्न, सब्जी या बगवानी की फसल हो उसका आगत मूल्य जीरो या लगभग न्यून, अर्थात गॉव का पैसा गॉव में और शहर का पैसा भी गॉव में, अर्थात प्राकृतिक खाद तैयार करने प्रशिक्षण बढया जाय।
- परम्परागत कृषि फसलों के अतिरिक्त नई फसलों जैसे सफेद मण्डुवा, लाल चावल सहित मोटे अनाज के उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाय,तथा उत्पादों की मार्केटिंग हेतु व्यवस्था/वाहन की व्यवस्था हेतु बजट प्रावधान किया जाय।
- जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सोलर फेसिंग, सोलर हूटर, पौलीहाउस हेतु बी0एल0 क्रुमुला ट्रैप आदि यंत्रों के लिये बजट की स्वीकृति की जाय।
- सिंचाई संविधा के विस्तार हेतु बजट प्रावधान किया जाय।
- पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु बजट प्रावधान किया जाय।
- कृषि यंत्रीकरण यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु बजट प्रावधान किया जाय।
- स्थानीय उत्पादों की ग्रेडिंग,प्रोसेसिगं,पैकेजिंग एवं विपणन हेतु ऑचल दूध की तर्ज पर कृषि उत्पाद संघ की स्थापना की जायें।
- स्थानीय स्तर पर कृषक समृद्वि केन्द्र की स्थापना की जाय।
- जैविक कृषि निवेशों के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु राज्याशं में वृद्वि की जाये।
- जनपद के अन्तर्गत समस्त औद्यानिक कार्य कर रहे कृषको द्वारा सुझाव दिया गया है कि जनपद में अलग–अलग स्थानों पर औद्यानिक फसलों को बंदरो से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वन क्षेत्रों में बन्दर बाढे बनाए जाने की योजना हेतु बजट प्राविधानित किए जाए, जिससे कृषि/औद्यानिक फसलों को क्षति से बचाए जा सके तथा अधिक से अधिक कास्तकार औद्यानिक फसलों/सब्जी का उत्पादन प्राप्त कर आय में वृद्वि कर सके। जो कि पलायन रोकथाम में अहम भूमिका निभायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

मत्स्य विभाग

- मत्स्य पालन को बत्तख/मुर्गी पालन के साथ समन्वित मत्स्य पालन किया जाय।
- 50 वर्ग मी मत्स्य पालन तालाब निर्माण हेतु 300 गाइडलोन की पॉलीशीट उपलब्ध करायी जाये।
- मत्स्य तालाबों का निर्माण राज्य योजना के तहत किया जाता है जिनकी संख्या माँग की अपेक्षा कम होती है
- अन्य राज्यों मत्स्य पालन की आर0एस0 तकनीक आपनायी जा रही है,जिस हेतु योजना बनायी जाये।

डेयरी विकास

दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन हेतु बजट प्रावधान में वृद्वि की जानी चाहिये।

खेल विभाग

- युवाओं में नशे की लत छुड़ाये जाने एवं उन्हे शारीरिक रूप से स्वस्थ्य बनाये रखने हेतु उन्हें खेलों के प्रति उत्साहित किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु जनपद के खेल मैदानों का सुधारीकरण किया जाना आवश्यक है। 2–प्रत्येक विकास खण्डों में खेल के मैदान तैयार किये जायें।
- जनपद स्थित स्टेडियम में तैनात कोच के मानदेय में वृद्वि की जाये।
- अधिकाधिक खेल प्रतियोगितायें आयोजित कराये जाने हेतु बजट धनराशि में वृद्वि की जाये।

समाज कल्याण विभाग

- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्वावस्था पेंशन,विधवा पेंशन ताकि दिव्यांग पेंशन की वर्तमान धनराशि 1500 रूपये प्रतिमाह में वृद्वि किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
- गौरा देवी कन्याधन योजना की प्रकिया को सरलतम किया जाये।

ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास प्रधिकरण

- मनरेगा अन्तर्गत वर्तमान में मजदूरी दर 213 रूपये पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य के अनुसार बहुत कम प्रतीत होती है,राज्याअंश के माध्यम से मजदूरी की धनराशि में वृद्वि की जा सकती है।
- स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के प्रशिक्षण मद की धनरशि को बढ़ाये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- स्टार्टअप फण्ड की धनराशि को बढाये जाने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाये।
- समूह की महिलाओं को अन्य राज्यों में भ्रमण हेतु स्किल डवलैपमैट व एक्सपोजर मद में बजट धनराशि को बढ़ाये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।

सहकारिता विभाग

- युवाओ को रोजगार आदि हेतु ऋण सम्बन्धित प्रकिया में बहुत अधिक पपत्रों माँगे जाते हैं,जिसे कम किये जाने सम्बन्धित कार्यवाही की जाये। कृषि सम्बन्धित ऋण हेतु अधिक धनराशि प्रदान किये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाना चाहिये।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- विकास खण्ड स्तर पर सी.एच.सी. अस्पताल में डायलिसिस यूनिट स्थापित किये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- प्रत्येक सी0एच0सी0 में गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड सुविधा उपलब्ध करायी जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- चिकित्सा स्टॉफ की कमी पूर्ण किये जाने हेतु रिक्त पदो के सापेक्ष भर्ती अभियान चलाये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- नवीन शहरों में जिनका गठन किया जाना है के लिये चिकित्सकीय सुविधा हेतु बजट प्रावधान किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

- मेडिकल कालेज में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिये माल (फुटकर बाजार) तैयार किये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- जन औषधि केन्द्रो में अधिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।

पर्यटन

- प्री स्नो स्कैटिंग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, टैकिंग रूट, रिवर राफ्टिंग, पैरागलाईडिंग, तथा माउण्टेन बाईक साइक्लिग हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाय।
- साहसिक खेलों हेतु स्थल विकास के लिये बजट प्रावधान किया जाये।
- रोपवे से नगर को प्राचीन मन्दिरों तथा पर्यटक स्थलों को जोड़े जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- अल्मोड़ा में स्थित चितई मंदिर,गैराड़ मन्दिर,जागेश्वर धाम को चार धाम यात्रा की तर्ज पर विकसित किये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाये।
- पर्यटक स्थलों पर काफी टेबल विकास हेतु बजट प्रावधान किया जाये।

नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन – जनपद में नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाये।

जिला योजना– जिला योजना मद अन्तर्गत जनपद का बजट विधानसभा क्षेत्र,विकास खण्ड,जनसंख्या में अन्य जनपदों के सापेक्ष जिनका बजट अधिक है, के समान ही क्षेत्रफल,जनसंख्या,विधानसभा क्षेत्र तथा विकास खण्ड से आच्छादित है जनपद का बजट आवंटन उन जनपदों के सापेक्ष किया जाना अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि जनपद का जिला योजना का बजट बढ़ाये जाने का कष्ट करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

अति आवश्यक/समयबद्ध।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या 640/ बी०ट०-सं०सा०/2021-22 दिनांक 25 फरवरी, 2023

मुख्य विकास अधिकारी
बागेश्वर।

विषय- जनपद स्तर पर "बजट पूर्व-संवाद" (Pre-Budget Stakeholders' Consultaion) आयोजित करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 791/114/ई-47581/बजट/2023 दिनांक 24.02.2023 से राज्य के बजट (2023-24) निर्माण की प्रक्रिया गतिमान होने से बजट निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जनता के सुझाव आमंत्रित किये जाने, जनसहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर बजट पूर्व संवाद (Pre-Budget Stakeholders' Consultaion) की प्रक्रिया को प्रारम्भ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में जनपद की प्रदेश में [illegible] विभिन्न हित समूहों के प्रतिनिधियों से "बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम" आयोजित करने व इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने तथा कार्यक्रम के उपरान्त विचार/सुझाव प्रेषित करने के साथ ही विभिन्न हित समूहों से प्राप्त सुझावों की सॉफ्टकॉपी के रूप में वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है।

अतः उपर्युक्तानुसार जनपद में "बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रकरण में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोपरि।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

Scanned by CamScanner

अति आवश्यक/समयबद्ध।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या 641/चौदह–रा0सहा0/2021–22 दिनांक 25 फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद स्तर पर "बजट पूर्व–संवाद" (**Pre-Budget Stakeholders' Consultaion**) आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 640/चौदह–रा0सहा0/2021–22 दिनांक 25.02.2023, जिसके अन्तर्गत जनपद में **"बजट पूर्व संवाद"** कार्यक्रम के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रकरण में **दिनांक 28.02.2023 को बैठक** नियत की गई है।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में उपर्युक्तानुसार जिलाधिकारी महोदया से विचार– विमर्श कर तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, जिला कार्यालय, बागेश्वर को जिलाधिकारी महोदया के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Scanned by CamScanner

दिनांक 28.02.2023 को जनपद स्तर पर आयोजित "बजट–पूर्व–सम्वाद" (Pre-Budget Stakeholders' Consultation) में प्राप्त सुझाव/आख्या

शिक्षा विभाग

1– न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय

मानवीय व भौतिक संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से प्रथम चरण में 05 व इससे न्यून छात्रसंख्या वाले विद्यालयों का निकटतम विद्यालय में विलय किया जाय। ग्राम प्रधान व विद्यालयों के अभिभावकों द्वारा विलय की प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। यदि विलय होने वाले विद्यालयों के प्रत्येक छात्र के अभिभावक को रू0 100.00 प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाय (एस्कोर्ट शुल्क/परिवहन शुल्क) तो उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। इससे शिक्षक विहीन व एकल अध्यापकीय विद्यालयों वाली स्थिति भी दूर होगी।

2– राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय हेतु स्थाई अध्यापकों की नियुक्ति

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक राजीव गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। ये विद्यालय सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। दो दशक का समय होने के उपरान्त भी इन विद्यालयों हेतु नियमित अध्यापकों की नियुक्ति अद्यतन नहीं हुई है। अधिकांशतः इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य मानदेय पर नियुक्त अस्थाई अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। नियमित व प्रवीण अध्यापकों के अभाव में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा के साथ समुचित न्याय नहीं हो रहा है।

3– छात्र प्रोत्साहन हेतु प्रतिभा आधारित छात्रवृत्तियों की आवश्यकता

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु अधिकांशतः समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। प्रतिभा आधारित छात्रवृत्तियाँ अल्प मात्रा में हैं। यदि परीक्षा के आधार पर प्रत्येक कक्षा हेतु (केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं के लिए) विकास खण्ड वार छात्रवृत्तियाँ का प्रावधान हो तो विद्यार्थी न केवल प्रोत्साहित होकर प्रतिस्पर्धी होंगे वरन् ड्रापआउट व अनुपस्थिति जैसी समस्याओं का भी निदान होगा व राजकीय विद्यालय अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करेंगे।

4– अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जनपद को एक निश्चित कोष की व्यवस्था

जनपद में 764 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज अवस्थित हैं। प्रत्येक वर्ष इस विद्यालयों में बृहद् मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नव स्थापित या उच्चीकृत हाईस्कूल व इण्टर कॉलेजों में स्थापना/उच्चीकरण के समय अतिरिक्त निर्माण का प्राविधान न किए जाने के कारण कई माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान में जिला योजना/राज्य योजना/समग्र शिक्षा से जो बजट अवस्थापना सुविधाओं के लिए उपलब्ध होता है, वह अपर्याप्त है। यह समस्या पर्वतीय जनपदों में विकराल है। अतः राज्य सैक्टर/नाबार्ड से प्रत्येक जनपद हेतु एक निश्चित कोष की व्यवस्था की जाय।

5– P.M.Shri की तरह C.M.Shri योजना का शुभारम्भ

वित्तीय वर्ष 2023–24 से संपूर्ण देश के प्रत्येक विकासखण्ड से एक राजकीय माध्यमिक व एक राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय को पी0एम0श्री योजना से आच्छादित किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा इन विद्यालयों को विकसित किए जाने हेतु मानवीय व भौतिक संसाधनों हेतु धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। यदि राज्य सरकार भी पी0एम0श्री योजना की तरह सी0एम0श्री योजना का संचालन प्रारम्भ करें तो अन्य विद्यालय लाभान्वित होंगे व मानव संसाधन को विकसित करने की दिशा में विभाग व राज्य शीघ्रता से आगे बढेंगे।

6– समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को अनिवार्यतः सम्मिलित करना

आज के युग में विद्यार्थी यदि किसी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा न हो तो भविष्य में रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में अनिवार्यतः प्रारम्भ होनी चाहिए। विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुरूप संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले विद्यालय में प्रवेश लेकर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है।

7– अटल उत्कर्ष विद्यालयों को वर्चूअल क्लासों से जाडा जाय और प्रत्येक ईण्टर कॉलेजों में कैरियर काउन्सलिंग हेतु वर्चूअल क्लासों के माध्यम से जोडा जायेगा। तथा प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल उ0मा0 विद्यालय तथा रा0इ0 कॉलेजो में सैनेटरी नैपकिन वैण्डर बॉक्स लगावाये जाय।

Scanned with CamScanner

कृषि विभाग

1– जनपद के अधिकतर कृषकों द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान पर शक्ति चालित कृषि यंत्रों/फार्म मशीनरी बैंक की मांग हेतु आवेदन किये जा रहे है। इस कारण योजनान्तर्गत शक्ति चालित कृषि यंत्रो/फार्म मशीनरी बैंको को अधिक संख्या में निर्धारित कर कृषकों की मांग को पूर्ण किया जाना सम्भव होगा, साथ ही कृषकों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है, कि अनाज भण्डारण हेतु सीड ड्रम/बुखारी को 80 प्रतिशत अनुदान पर, औद्योगिक हैम्प की खेती को अधिक क्षेत्रफल में बढावा देने, औषधीय सगंध पौध का अधिक क्षेत्र में रोपण कर कृषकों की आजीविका में वृद्धि किये जाने तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दो–दो एग्रीकेनन गन उपलब्ध कराये जायें।

2– अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों के कृषकों द्वारा सुझाव दिया गया है, कि प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 05–05 गॉवों का चयन कर, इन्हें निःशुल्क/शत्प्रतिशत अनुदान पर कृषि एवं रेखीय कार्यक्रमों से पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाए, ताकि इन ग्रामों के कृषकों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है। वर्तमान में प्रत्येक विकासखण्ड में केवल 01–01 ग्राम ही चयनित है।

3– हिल सीड बैंक योजना के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न फसलों यथा धान, मण्डुवा, सोयाबीन काला भट्ट, गहत, गेहूँ, मसूर, लाही/सरसों आदि का बीज उत्पादन किये जाने हेतु कृषकों को शतप्रतिशत अनुदान पर कृषि निवेश उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप कृषकों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक होगा। कृषकों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पाद को वर्श हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि विभाग द्वारा क्रय कर तुरन्त भुगतान किया जाना होगा, साथ ही बीज विधायन के उपरान्त रू0 200.00 प्रति कु0 इस कार्य हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करायी जायेगी। इससे स्थानीय जलवायु के अनुसार बीज उत्पादन कर जनपद के अन्य कृषकों को भी इन बीजों का वितरण कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

4– राज्य योजना के जल पम्प/स्प्रिंगलर सेट विविधीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर 30 प्रतिशत की अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत देय अनुदान मध्ये 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय योजनाओं से उपलब्ध कराते हुए शेष 30 प्रतिशत की अनुदान धनराशि का भुगतान जल पम्प/स्प्रिंकलर सेट विविधीकरण कार्यकम मद से किया जाता है। इस कारण इस मद के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि में वृद्धि की जानी आवश्यक है, ताकि कृषकों को अधिक लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

5– प्राकृतिक खेती प्रणाली से चाहे कोई भी खाद्यान्न, सब्जी या बगवानी की फसल हो उसका आगत मूल्य जीरो या लगभग न्यून, अर्थात गॉव का पैसा गॉव में और शहर का पैसा भी गॉव में, अर्थात प्राकृतिक खाद तैयार करने प्रशिक्षण बढया जाय।

6– परम्परागत कृषि फसलों के अतरिक्त नई फसलों जैसे सफेद मण्डुवा, लाल चावल सहित मोटे अनाज के उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोति किया जाय।

7– जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सोलर फेसिंग, सोलर हूटर, पौलीहाउस हेतु बी0एल0 क्रुमुला ट्रैप आदि यंत्रों के लिये बजट की स्वीकृति की जाय।

8– जनपद बागेश्वर व विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत चाय बागान की अपार संम्भावना है। यहॉ भी केरल राज्य की दर्ज पर बहु राष्ट्रीय कम्परियों अथवा इन्वैस्टर्स द्वारा ग्राम पंचायतों की बंजर भूमि अथवा वन पंचायतों में चाय बागान विकसित कर स्थानिय स्तर पर गॉव में ही रोजगार उपलब्ध होगा और पलायन रूकेगा। वन पंचायतों में चाय बागान लगने से वनाग्नि की घटनाओं में भी कमी होगी।

उद्यान विभाग

1– कास्तकारों द्वारा सुझाव दिया गया है कि मशरूम उत्पादन कार्यकम हेतु लघु स्तर पर कास्ताकरो के छोटे–छोटे कम लागत धनराशि के मशरूम हट निर्माण कराए जाने हेतु बजट में प्राविधानित किया जाए।

2– कृषकों द्वारा मॉग की जा रही है कि निःशुल्क फल पौध रोपण योजनान्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले कीवी फल पौधो के साथ टी–बार, एंगिल एंव अन्य भी उपलब्ध कराए जाने हेतु बजट में प्राविधान किया जाए।

3– जनपद के अन्तर्गत समस्त औद्यानिक कार्य कर रहे कृषको द्वारा सुझाव दिया गया है कि जनपद में अलग–अलग स्थानों पर औद्यानिक फसलों को बंदरो से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वन क्षेत्रों में

Scanned with CamScanner

बन्दर बाढे बनाए जाने की योजना हेतु बजट प्राविधानित किए जाए। जिससे औद्यानिक फसलों को क्षति से बचाए जा सके तथा अधिक से अधिक कास्तकार औद्यानिक फसलों/सब्जी का उत्पादन प्राप्त कर आय में वृद्धि कर सके। जो कि पलायन रोकथाम में अहम भूमिका निभायेगा।

4– जिला एंव राज्य सैक्टर में उन्नत बागवानी को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक स्त्रोतों से जल सिंचाई हेतु आपूर्ति करने किए विद्युत चालित वाटर लिफ्टिग पम्प उपलब्ध कराए जाने के लिए बजट में योजना प्राविधानित किए जाय।

5– जिला एंव राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत कीवी मिशन एंव सेब योजना में कुल लागत के 20 प्रतिशत कृषक अंश धनराशि के स्थान पर कृषकों द्वारा सुझाव दिया गया है कि कुल लागत के सापेक्ष कृषक अंश अधिकतम 10 प्रतिशत रखी जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों लघु एंव सीमान्त क्षेत्र के छोटे जोत के कास्तकारों पर दर अत्यधिक व्यय भार ना आने पाए एंव अधिक से अधिक कास्तकार योजना का लाभ उठा सके।

6– प्रत्येक विकास खण्ड में एक बड़ा कोल्ड स्टोर अथवा प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर में एक एक सौलर प्लान्ट युक्त कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाय।

मत्स्य विभाग

1– जनपद मे मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक तालाब का निर्माण किया जाना आवश्यक है ।

2– जनपद में किसानों को मच्छी मण्डी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

3– वर्तमान मे संचालित की जा रही तालाब निर्माण की परियोजना लागत एवं अनुदान को पुनः आगणित कर वर्तमान मंहगाई के अनुरूप संसोधित किया जाना।

4– "राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना" के तहत मत्स्य आहार की अनुदानित धनराशि को 50 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत तक किया जाए।

डेयरी विकास

1– दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन।

2– नगरीय उपभोक्ताओं को सदैव दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की उपलब्धता।

3– ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक विकास।

उद्योग विभाग

1– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना के अन्तर्गत शासनादेशानुसार अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है जबकि उद्यमियों द्वारा मांग रहती है कि यह अनुदान राशि प्रोजेक्ट की कुल धनराशि के सापेक्ष प्राप्त हो।

2– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान सहायता में 06 प्रतिशत की वर्तमान में प्रतिपूर्ति की जाती है जबकि उद्यमियों की अपेक्षा है कि इसे 10 प्रतिशत किया जाये।

3– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना 2015 के अन्तर्गत कोविड–19 के दौरान उद्यमी उक्त योजना का लाभ नहीं ले पाए जिससे उद्यमियों की अपेक्षा है कि इस योजना को आगामी 05–10 वर्ष हेतु और बढाया जाए।

4– उद्यमियों को हथकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग क्षेत्र में दिये जाने वाले प्रथम पुरस्कार की धनराशि रू0 6000.00 एवं द्वितीय श्रेणी में रू0 4000.00 है जिसे बढाकर धनराशि रू0 25000.00 एवं 15000.00 किया, जाए जिससे उद्यमियों को और अत्यधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

5– उद्यमियों द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद में उपलब्ध कच्चा माल से सम्बन्धित लघु उद्योगों की स्थापना की जाय। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

6– सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान किया जाय।

7– फ्रुट वाईन, जैविक शहद की वाईन प्लान्ट स्थापित किया जाय। जिससे काश्तकारों की आय में वृद्वि हो सके।

परिवहन

1– बागेश्वर – देहरादून मार्ग (वाया कर्णप्रयाग, श्रीनगर) पर रोड़वेज बसों की संख्या बढ़ायी जाय जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी।

वन विभाग

1– वनाग्नि को दैवीय आपदा घोषित किया जाय तथा समस्त वन रेंज में निगरानी हेतु एक–एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाय।

Scanned with CamScanner

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1– जनपद में वर्तमान में मात्र एक जिला चिकित्सालय स्थापित है एवं उक्त ईकाई में स्थान की कमी होने के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाऐं देने में कठिनाई हो रही है। अतः जनपद में एक अतिरिक्त 250 बैड (200 बैड का जिला चिकित्सालय एवं 50 बैड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक) का जिला चिकित्सालय स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है, जहां पर समस्त स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायी जा सके।

2– प्रसव केन्द्रों को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसमे लैब, एक्स–रे, एम्बुलेंस सहित 24 धंटे सेवा देने हेतु चिकित्सालय में मानव संसाधन की नियुक्ति की जाये एवं उन्हें प्राथमिक उपचार, हैड इंन्ज्यूरी इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।

3– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उपचार हेतु जनपद से बाहर जाने वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों को रहने एवं खाने हेतु वित्तीय प्रबन्ध किया जाये ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रह सके।

4– परिवार नियोजन के असफल होने अथवा अन्य चिकित्सकीय परेशानी होने पर लाभार्थी को बरेली एवं हल्द्वानी जाना पड़ता है, ऐसे लाभार्थियों को वित्तीय प्रबन्ध किया जाये।

5– जनपद के निम्न अति दुर्गम स्थानों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने हेतु निम्नवत् चिकित्सा ईकाइंयों का सुदृढीकरण किया जाये –

- लीती, जलमानी, कन्धार, उधमस्थल, काण्डा में 20 बैड का अस्पताल स्थापित किया जाये।
- सी.एच.सी. काण्डा में डायलिसिस युनिट स्थापित किया जाये।
- सी.एच.सी. कपकोट को 100 बैड का अस्पताल स्थापित करते हुये उपजिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाये एवं डायलिसिस युनिट स्थापित किया जाये।
- ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु विकास खण्ड बैजनाथ एवं कपकोट में किया जाये।
- जिला चिकित्सालय बागेश्वर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु आवास का निर्माण किया जाये।
- खुनौली, खन्तोली, चेटाबगड़, घटगाड़, वाछम में उपकेन्द्र की स्थापना की जाये।
- जाख खुमटिया एवं धारी डोबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जाये।

6– ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण जोकि वर्तमान में लम्बित है उक्त को ससोला काण्डा में निर्माण किया जाये।

7– पी.एच.सी. जलमानी एवं सी.एच.सी. काण्डा में डेन्टल यूनिट की स्थापना की जाये।

8– मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।

9– उच्च शिक्षा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपेथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु नये शिक्षण संस्थनों की स्वीकृति प्रदान की जाय।

पशुपालन

1– अच्छी नस्ल के भैसा सांड, कश्मीरी मैरिनों भैड तथा बद्री गाय को संरक्षण को बढावा दिया जाय ।

भेषज

1– उच्च हिमालयी औषधिय पौधों की कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण हेतु बजट का प्रावधान किया जाय। तथा प्रत्येक विकास खण्ड में वहॉ के पर्यावरण के अनुसार औषधिय पौधों की नर्सरी व क्लस्टर विकासित करने हेतु बजट का प्रावधान किया जाय।

पर्यटन

1– प्री स्नो स्कैटिंग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, टैकिंग रूट, रिवर राफ्टिंग, पैरागलाईडिंग, तथा माउण्टेन बाईक साइक्लिग हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाय।

2– साहसिक खेलों हेतु स्थान चयनित कर विकसित किया जाय।

सरस मार्किट/ट्रैनिंग सेन्टर

1– प्रत्येक जनपद और विकास खण्डों मुख्यालय में सरस मार्किट व कॉम्पलैक्स की स्थापना की जाय जिसमें सीप और एन0आर0एल0एम0 के महिला समूहो द्वारा अपने लोकल फोर बोकल उत्पादों की विक्रय कर सके।

Scanned with CamScanner

"बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम/बैठक कार्यवृत्त"

अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र सं0 791/1144/ई–47581/ बजट/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 के तदक्रम में राज्य के बजट निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जनता के सुझाव आमंत्रित किये जाने तथा जन सहभागिता को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से **"बजट पूर्व–संवाद"** (Pre-Budget-Stakeholders Consultation) की प्रक्रिया किये जाने हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2023 को जिला कार्यालय (कलक्ट्रेट) में स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों, सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों एवं हित समूहों के साथ बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित सुझाव जनप्रतिनिधियों एवं हित समूहों द्वारा दिये गये–

1. समीक्षा बैठक में क्षेत्र पंचायत/ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों को पेंशन योजना की आवश्यकता है, किन्तु पात्रता हेतु आय सीमा प्रतिमाह रू0 4000 होने के कारण वर्तमान में कई लाभार्थी निर्धारित मानकों को पूरा नही कर पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि पेंशन हेतु आय प्रमाण पत्र की निर्धारित आय की सीमा कोरू0 6000 बढ़ाया जाय।
2. बैठक में उपस्थित कृषकों द्वारा बताया गया कि हमारी मॉगानुसार प्रजातियों के बीज प्राप्त नही हो रहें हैं, मॉगानुसार बीज उपलब्ध करायें जायें। वर्तमान में निदेशालय स्तर से बीज के साथ ही बीज की प्रजाति, दर एवं कम्पनी भी निदेशालय स्तर से निर्धारित की जाती हैं, प्रक्रिया में संशोधन किया जाय, जिससे कृषकों को आवश्यकतानुसार बीज प्रजाति सहित प्राप्त हो सके।
3. बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम के दौरान यह सुझाव दिया गया कि मा0 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत राज सहायता पर सब्जी बीज एवं फल पौध के साथ औद्यानिक संयंत्रों को भी सम्मिलित किया जाए।
4. बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिये गये कि जनपद में श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्वालु एवं दर्शनार्थी आते हैं। यात्रा के सुचारू प्रबन्धन एवं यात्रियों की विभिन्न व्यवस्थाओं एवं चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले स्थानीय निकायों हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।
5. बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिये गए कि जनपद आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर बरसात के समय पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा चार धाम यात्रा मार्ग भी कई बार बाधित हो जाता है, जिस हेतु अतिरिक्त बजट जनपद को आवंटित किया जाए और बजट में इसका प्रावधान किया जाए।
6. बैठक में ग्राम पंचायत से उपस्थित हितधारकों द्वारा अवगत कराया गया कि **"प्रधानमंत्री आवास योजना"** शहरी में पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की तर्ज पर धनराशि बढ़ाई जाय।
7. बैठक में अध्यक्ष व्यापार संघ, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आये "फेरी वाले" बिना जी0एस0टी0 के निम्न गुणवत्ता युक्त सामान/माल बेच रहें हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि बाहर से आने वाले फेरी वालों का अनिवार्यतः सत्यापन किया जाए।
8. बैठक में उपस्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ "आंचल दुध" श्रीनगर के प्रतिनिधियों द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में सुझाव दिया गया कि जनपद में जगह–जगह मिल्क बूथ की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए। संघ के पादाधिकारियों द्वारा

मिल्क ए0टी0एम0 के क्रय के सम्बन्ध में भी अतिरिक्त बजट की मांग की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान दुग्ध उत्पादाकों के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बाजार में दुग्ध का मूल्य रू0 60/लीटर है, जबकि दुग्ध संघ द्वारा पशुपालाकों से फैट व एस0एन0एफ0 के आधार पर दुग्ध कम से कम रू0 40/लीटर की दर से क्रय किया जाता है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि दुग्ध पशुपालकों को निवेशों पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करते हुए दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों से बाजार मूल्य पर दुग्ध क्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. बैठक में काश्तकारों द्वारा यह विचार रखा गया कि पशुपालाकों को पशुओं की देख–रेख के लिए आकस्मिक पशु चिकित्सा एवं जनपद में भूसे/चारे की कमी को देखते हुए पशुपालकों को भूसे/चारे हेतु सब्सिडी के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।

10. बैठक में किसानों तथा प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि बंदर/जंगली सुअर तथा अन्य जंगली जानवरों से जनमानस एवं फसल को नुकसान होता है, जिस कारण कृषकों द्वारा कृषि कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है एवं आजीविका के लिए उन्हें जनपद से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इस हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए। आवारा पशुओं द्वारा हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए तथा फसलों से होने वाले नुकसान हेतु फसल बीमा पॉलिसी में कवरेज देने की मांग की गई।

11. बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें कि अनुदान 35 प्रतिशत है, जबकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अनुदान 25 प्रतिशत है। इन दोनों योजनाओं के अनुदान में एकरूपता लाते हुए अनुदान राशि 35 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि दस्तकारी लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना में अभी रू0 400/प्रतिमाह दिये जाते हैं, इसे बढ़ाकर रू0 1,000/प्रतिमाह किये जाने की आवश्यकता है।

12. बैठक जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अशासकीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के पद रिक्त हैं। उक्त पदो के लिए अस्थाई रूप से अध्यापकों की व्यावस्था की जाए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को समाज कल्याण से पेंशन बहुत कम मिल रही है, जिसे बढ़ाये जाने हेतु प्राविधान किया जाना चाहिए।

13. बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में मा0 प्रमुख क्षेत्र पंचायतों द्वारा सुझाव दिया गया कि उनके पास आकस्मिक बजट व्यवस्था न होने के कारण जनसामान्य की आकस्मिक परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इस हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। साथ ही पूर्व में दी जाने वाली क्षेत्र पंचायत निधि को पुनः लागू किया जाए।

अतः उक्त बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त **"बजट पूर्व संवाद"** की बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालयः जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांकः-104-S/ब0पू0सं0/2022-23 दिनांक 04 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।